न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 14/2023

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
श्री कसराराम, भारताराम, धुखाराम, लक्ष्मण पिसरान–भूराराम, जाति–भील, निवासी– जालमपुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः
1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

–ः निर्णय :– **दिनांक 24 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम जालमपुरा, पटवार मण्ड़ल रायपुर के खसरा संख्या 167/427 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म ब.3 भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटिती भूमि का मौके पर आवंटित को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के आरे से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जालमपुरा, पटवार मण्ड़ल रायपुर के खसरा संख्या 167/427 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म ब.3 भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटित को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। अप्रार्थी/आवंटि[illegible]का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी/आवंटित को उक्त भूमि क[illegible]षि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

[illegible]ज दो पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अप्रार्थी पक्ष को ग्राम जालमपुरा, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 167/427 रकबा 10.01 बीघा किस्म ब–3 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि ''आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।''

प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ केवल संवत 2077–2079 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि संवत 2077 में उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अरण्डी, मूंगफली, गेहूं की फसल की काश्त की गई है। संवत 2078 में मूंगफली, बाजरी व गेंहूं के फसल की काश्त दर्ज है। इसी तरह, संवत 2079 में भी मूंगफली के फसल की काश्त दर्ज है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन माना जाने योग्य नही है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का, रायपुर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.11.2022 प्रस्तुत की गई है, लेकिन पटवारी हल्का, रायपुर द्वारा दिनांक 22.11.2022 को मौके की जांच अप्रार्थीगण एवं स्वतंत्र मौतबिरों की उपस्थित में नही की गई है। इस मौका फर्द रिपोर्ट पर केवल हल्का पटवारी, रायपुर के ही हस्ताक्षर किये हुये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का, रायपुर द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच किये बिना ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई है। इस प्रकार, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर यह साबित करने में असफल रहे है कि आवंटिती/अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नही हो। विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352–356 में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि पर यदि बरसात के अभाव में कभी कभी 2–4 वर्षो में लगातार काश्त नही हो पाती है व इसी आधार पर यदि गिरदावरी में भी कोई काश्त दर्ज नही होती है तो इससे आवंटिती के अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर काश्त योग्य भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी दिये जाने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *